



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: 20, नवम्बर, 2024

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
प्लॉट संख्या एच-3012, 500 क्वार्टर के पास,
अंकलेश्वर, जिला भरुच (गुजरात)

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, अंकलेश्वर के 80% से अधिक कार्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 20.09.2024 की अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी. की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

Signed by Shyam Kumar
Date: 20-11-2024 15:57:11

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)